

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

कमाक:- प.4 (ई) (वी) अलेसे-III लिंक नं. 10785/

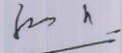
दिनांक:-

कार्यालय आदेश

श्रीमती वर्षा उपाध्याय (लिंक नंबर-10785) कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 27.11.2018 से 12.12.2018 तक कुल 16 दिवस

उक्त कुल 16 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाशका इन्द्राज श्रीमती वर्षा उपाध्याय (लिंक नंबर-10785) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

कमाक:- प.4 (ई) (वी) अलेसे-III लिंक नं. 10785/1609

दिनांक:- 10-6-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमती वर्षा उपाध्याय (लिंक नंबर-10785) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)